किस्म मुकदमाः– धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
नम्बरः– 02 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मांगीलाल आचार्य बनाम लो.सू.अ. (कार्यपालक मजिस्ट्रेट फलौदी)	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/2/2024	अपीलार्थी मांगीलाल आचार्य , निवासी आचार्यो को मौहल्ला नयापुरा फलौदी , जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2023 में उसके द्वारा (1) खसरा नं, 8/3 ग्राम खीचन में रमण पुत्र भोजाराम जाति अचारज का सम्पूर्ण जमीन 15 बीघा व 03 बिस्वा, हिस्सा में नामन्तरण खोल जिसमें राधाराम उर्फ राधाकिशन का हिस्सा 1/4 , कानाराम का हिस्सा 1/4 , अम्बिका का हिस्सा 1/4 व अशोक कुमार का हिस्सा 1/36 , शान्तिलाल का हिस्सा 1/36 , हीरालाल का हिस्सा 1/36, मांगीलाल का हिस्सा 1/36, सुरेश का हिस्सा 1/36, अरूण कुमार का हिस्सा 1/36, गोरधन का हिस्सा 1/36, मीरादेवी का हिस्सा 1/36 व लीला का हिस्सा 1/36 है, खसर नं. 5 ग्राम खीचन में सम्पूर्ण जमीन 0.11 बिस्वा में 1/4 हिस्सा रमण पुत्र भेजराम का था जिसमें 1/4 पूरा हिस्सा अम्बिका के किस आधार पर दिया है एवं खसरा नं 5 ग्राम खीचन में रमण पुत्र भेजाराम में हिस्सा नामान्तकरण सूची में नाम होने का कारण सहित बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार फलौदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार फलौदी) तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के क्रमांक/भू.अ./2023/3760 दिनांक 26.09.2023 द्वारा अपीलांट को प्रेषित की गई। पत्रावली के अवलोकन से स्पट होता है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना आवेदन दिनांक 05.09.2023 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार फलोदी द्वारा दिनांक 26.09.2023 को उपलब्ध करवाना प्रकट होता है। प्रार्थी द्वारा उक्त तिथि को सूचना प्राप्त होना स्वीकार भी किया है। बिन्दु अपील में उसके द्वारा प्रकट किया है कि उसे वांछित सूचना नही दी गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अवलोकन से प्रकट होता है कि उसके द्वारा प्रश्नात्मक बिन्दु बनाकर अधार एवं कारण स्पष्ट की सूचना मांगनी है। जबकि सूचना के अधिकार एवं अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकार अभिलेख में उपलब्ध सूचना ही आवेदक को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तहसलदार फलोदी द्वारा सूचना आवेदन में सूचना की प्रति उसको उपलब्ध करवायी गई है। अतः प्रार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। चूँकि लोक सूचना अधिकारी की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

जिला कलक्टर
फलौदी